


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक/08/2020

फा.क्रं 3225/21-ब(दो)/2020, राज्य शासन, एतद् द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से म.प्र. उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये इस विभाग के आदेश क्र. 2243/21-ब(दो), दिनांक 06.06.2020 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / अति. महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली / इंदौर / ग्वालियर में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ताओं / उप महाधिवक्ताओं को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्रमांक 3225/21-ब(दो)

भोपाल, दिनांक 18./08/2020

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर / ग्वालियर,
3. महाधिवक्ता मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. संबंधित विधि पदाधिकारीगण, द्वारा महाधिवक्ता, म.प्र., जबलपुर,
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर / ग्वालियर / नई दिल्ली,
6. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ,
7. आई.टी. प्रकोष्ठ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संतोष प्रसाद शुक्ल)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग